

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक:-

19/3/2020

विषय:- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹17,08,569/- (सत्रह लाख आठ हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹17,08,569/- (सत्रह लाख आठ हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-


क्रमंक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	पटना भवन प्रमंडल, पटना	Repair of Maulana Abul Hasan Ali Nadvi Minority Boys Hostel patna for the year 2019-20.	499/31.10.19	₹91,385/- (ईकानवे हजार तीन सौ पचासी रूपये)
2.	पटना भवन प्रमंडल, पटना	Renovation of drain window (back side) in campus of Mother Teresa Minority Hostel Patna for the year 2019-20.	499/31.10.18	₹6,80,303/- (छः लाख अस्सी हजार तीन सौ तीन रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, सीवान	Construction of boundary wall and cycle stand at 100 bedded Boys Minority Hostel at Siwan.	451/17.01.18	₹9,36,881/- (नौ लाख छतीस हजार आठ सौ इक्यासी रूपये)
कुल राशि-				₹17,08,569/-
(सत्रह लाख आठ हजार पाँच सौ उनहत्तर रूपये) मात्र।				

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0103-अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) विपत्र कोड-03-4225800510103 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0103.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।

G

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वासभाजन,



(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक:-

19/3/2020

ज्ञापांक:- 2459 (4)

प्रतिलिपि:- सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।

दिनांक:-

19/3/2020

ज्ञापांक:- 2459 (4)

प्रतिलिपि:- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।